



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

क्रमांक: 177 /अकादमी/सम्बद्धता /2026

भोपाल दिनांक : 18-2-2026

To,
PRINCIPAL,

Jawaharlal Nehru P.G. College
973/1 Mugalia hat Parwalia Sadak BHOPAL

College Code-042
Affiliation Renewal
(2025-26)

विषय:- सत्र 2025-26 हेतु स्थाई /अस्थायी सम्बद्धता की निरंतरता प्रदान करने विषयक ।
महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक: 05-05-2025 में की गई अनुशंसा एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक: 19-01-2026 में अनुमोदन उपरान्त आपके महाविद्यालय को निम्नानुसार पाठ्यक्रमों/विषयों को सत्र 2025-26 हेतु स्थाई/अस्थायी सम्बद्धता की निरंतरता प्रदान की जाती है।

S.NO	COURSE	SUBJECT	Seat
1	BA iii	Economics, English Lit., Urdu, Hindi Lit., History, Political Science, Sanskrit, Sociology	90
2	B.Com. iii	Plain, Computer Application	90
3	B.LIB f	Plain,	30
4	B.SC. iii	Aquaculture, Biochemistry, Botany, Chemistry, Comp.Sc., Electronics Information Technology, Mathematics, Microbiology, Physics, Zoology	60
5	PG Diploma f	In Yoga	30
6	PGDCA	Plain	30
7	BPES	Plain,	90
8	MA iii	Economics, English Lit., Political Science, Sociology, Urdu	30 each
9	MCOM ii	Commerce	30
10	M.LIB. f	PLAIN	30
11	M.SC. f	Biotechnology, Botany, Chemistry, Computer Science, mathematica, Microbiology, Physics, Zoology	30 Each

शर्त:-

- (1) प्रदत्त स्थाई/अस्थायी सम्बद्धता / निरंतरता करने हेतु आगामी सत्र 2026-27 के लिए विश्वविद्यालय में निर्धारित सम्बद्धता शुल्क एवं आवेदन पत्र के साथ नियत दिनांक तक आवेदन करना होगा।
- (2) बिना सम्बद्धता /निरंतरता के किसी छात्र/छात्रा का प्रवेश मान्य नहीं होगा। उसकी संपूर्ण जवाबदारी महाविद्यालय प्रबंधन की होगी।
- (3) विश्वविद्यालय परिनियम 27,28 तथा परीक्षा अध्यादेश 5,6,7 में दर्शित प्रावधानों का पालन करना महाविद्यालय प्रबंधन के लिए आवश्यक होगा। किसी भी प्रावधानो उल्लंघन पाए जाने पर यह सम्बद्धता /निरंतरता स्वतः ही निरस्त हो जावेगी।
- (4) अशासकीय महाविद्यालयों को आगामी सम्बद्धता हेतु आवेदन के साथ रु. 100-00 के स्टम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप में जानकारी जिसमें आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग ए.आई.सी.टी.ई./अन्य पाठ्यक्रम हेतु नियागक संस्थाओं की मान्यता, विश्वविद्यालय से जारी विगत वर्षों के संबद्धता /निरंतरता पत्र, महाविद्यालय की संचालन समिति के पंजीयन दस्तावेज, पार्ट-ए में दर्शित दस्तावेज, जिसमें समिति द्वारा क्रय की गई भूमि की रजिस्ट्री, नगर निगम/नगर पालिका/पंचायत द्वारा अनुमोदित महाविद्यालय का नक्शा, खसरा नम्बर, महाविद्यालय का निर्माणाधीन एरिया, विटिडिंग पूर्ण होने का प्राण पत्र, खेल मैदान की जानकारी, खेल मैदान की महाविद्यालय से दूरी एवं उसका सत्यापन, महाविद्यालय में उपलब्ध क्लासरूम की संख्या, उसमें कितने छात्रों को अध्ययन कराया जाता है, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, उपलब्ध फर्नीचर, उपकरण, कम्प्यूटर पुस्तकों की संख्या, महाविद्यालय का फोटोग्राफ जियोटेगिंग सहित, क्लासरूम, प्रयोगशाला पुस्तकालय का फोटोग्राफ, यदि महाविद्यालय का स्थान परिवर्तित हुआ है संबंधी जानकारी, महाविद्यालय की समिति का पुनर्गठन, शासी निकाय के कार्यवृत्त संबंधी जानकारी विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- (5) शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति वि.वि. परिनियम (कालेज कोड) 28 के तहत छात्र अनुपात अनुसार पूर्ण कर नियुक्त शिक्षकों की सूची नियुक्ति पत्र, मय ज्वॉनिंग रिपोर्ट मय शिक्षकों का मोबाईल नम्बर, शिक्षकों के बैंक खातों की जानकारी विश्वविद्यालय में हार्डकापी में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। 28 के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों की जानकारी मय बायोडाटा के महाविद्यालय की वेबसाईट पर भी प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय को स्वीकृत सीट संख्या महाविद्यालय में प्रवेशित/अध्ययनरत छात्रों की संख्या एवं सूची तथा रिक्त सीटों की संख्या की-जानकारी विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- (6) महाविद्यालय की वेलेन्सशीट, आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड अकाउंटेंट से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा। (अशासकीय महाविद्यालय हेतु)
- (7) शासी निकाय का गठन कर नियमित बैठक का आयोजन एवं विवरण तीन माह में वि.वि. को भेजना होगा। (अशासकीय महाविद्यालय हेतु)
- (8) संबंधित पाठ्यक्रमों हेतु FDR वि.वि.में जमा करना अनिवार्य होगा।
- (9) उक्त शर्तों का पालन नहीं करने पर परिनियम-27 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
- (10) शासकीय महाविद्यालय के लिए :- जनभागीदारी समिति के कार्यवृत्त विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

पृ.कं. 178 /अकादमी/संबद्धता/2026
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग सतपुडा, भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. ए.आई.सी.टी.ई. नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल नर्मदापुरम संभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. प्रभारी, वि.वि. आई.टी. वेब सेल भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. परीक्षा नियंत्रक बरकतउल्ला विश्वविद्यालय की ओर सूचनार्थ।
6. कुलगुरु/कुलसचिव जी के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।

कुलसचिव

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

भोपाल दिनांक : 18-2-2026

सहायक कुलसचिव, (अकादमी)



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

क्रमांक: 177 /अकादमी/सम्बद्धता /2026

भोपाल दिनांक : 18-02-26
College Code-042
Affiliation Renewal
(2025-26)

To,
PRINCIPAL,
Jawaharlal Nehru P.G. College
973/1 Mugalia hat Parwalia Sadak BHOPAL

विषय:- सत्र 2025-26 हेतु स्थाई /अस्थायी सम्बद्धता की निरंतरता प्रदान करने विषयक ।

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक: 05-05-2025 में की गई अनुशंसा एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक: 19-01-2026 में अनुमोदन उपरान्त आपके महाविद्यालय को निम्नानुसार पाठ्यक्रमों/विषयों को सत्र 2025-26 हेतु स्थाई/अस्थायी सम्बद्धता की निरंतरता प्रदान की जाती है।

S.NO	COURSE	SUBJECT	Seat
1	B.B.A	All Compulsory Papers	90
2	B.C.A.	All Compulsory Papers	90

शर्त:-

- (1) प्रदत्त स्थाई/अस्थायी सम्बद्धता / निरन्तरता करने हेतु आगामी सत्र 2026-27 के लिए विश्वविद्यालय में निर्धारित सम्बद्धता शुल्क एवं आवेदन पत्र के साथ नियत दिनांक तक आवेदन करना होगा।
- (2) बिना सम्बद्धता /निरन्तरता के किसी छात्र/छात्रा का प्रवेश मान्य नहीं होगा। उसकी संपूर्ण जवाबदारी महाविद्यालय प्रबंधन की होगी।
- (3) विश्वविद्यालय परिनियम 27,28 तथा परीक्षा अध्यादेश 5,6,7 में दर्शित प्रावधानों का पालन करना महाविद्यालय प्रबन्ध के लिए आवश्यक होगा। किसी भी प्रावधानो उल्लंघन पाए जाने पर यह सम्बद्धता /निरन्तरता स्वतः ही निरस्त हो जावेगी।
- (4) अशासकीय महाविद्यालयों को आगामी सम्बद्धता हेतु आवेदन के साथ रु. 100-00 के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप में जानकारी जिसमें आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग ए.आई.सी.टी.ई./अन्य पाठ्यक्रम हेतु नियामक संस्थाओं की मान्यता, विश्वविद्यालय से जारी विगत वर्षों के सम्बद्धता /निरन्तरता पत्र, महाविद्यालय की संचालन समिति के पंजीयन दस्तावेज, पार्ट-ए में दर्शित दस्तावेज, जिसमें समिति द्वारा क्रय की गई भूमि की रजिस्ट्री, नगर निगम/नगर पालिका/पंचायत द्वारा अनुमोदित महाविद्यालय का नक्शा, खसरा नम्बर, महाविद्यालय का निर्माणाधीन एरिया, विट्डिंग पूर्ण होने का प्राण पत्र, खेल मैदान की जानकारी, खेल मैदान की महाविद्यालय से दूरी एवं उसका सत्यापन, महाविद्यालय में उपलब्ध क्लासरूम की संख्या, उसमें कितने छात्रों को अध्ययन कराया जाता है, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, उपलब्ध फर्नीचर, उपकरण, कम्प्यूटर पुस्तकों की संख्या, महाविद्यालय का फोटोग्राफ जियोटैगिंग सहित, क्लासरूम, प्रयोगशाला पुस्तकालय का फोटोग्राफ, यदि महाविद्यालय का स्थान परिवर्त हुआ है संबंधी जानकारी, महाविद्यालय की समिति का पुनर्गठन, शासी निकाय के कार्यवृत्त संबंधी जानकारी विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- (5) शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति वि.वि. परिनियम (कालेज कोड) 28 के तहत छात्र अनुपात अनुसार पूर्ण कर नियुक्त शिक्षकों की सूची नियुक्ति पत्र, मय ज्वार्डनिंग रिपोर्ट मय शिक्षकों का मोबाईल नम्बर, शिक्षकों के बैंक खातों की जानकारी विश्वविद्यालय में हार्डकापी में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। 28 के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों की जानकारी मय बायोडाटा के महाविद्यालय की वेबसाईट पर भी प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय को स्वीकृत सीट संख्या महाविद्यालय में प्रवेशित/अध्ययनरत छात्रों की संख्या एवं सूची तथा रिक्त सीटों की संख्या की जानकारी विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- (6) महाविद्यालय की बेलेन्सशीट, आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड अकाउंटेंट से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा। (अशासकीय महाविद्यालय हेतु)
- (7) शासी निकाय का गठन कर नियमित बैठक का आयोजन एवं विवरण तीन माह में वि.वि. को भेजना होगा। (अशासकीय महाविद्यालय हेतु)
- (8) संबंधित पाठ्यक्रमों हेतु FDR वि.वि.में जमा करना अनिवार्य होगा।
- (9) उक्त शर्तों का पालन नहीं करने पर परिनियम-27 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
- (10) शासकीय महाविद्यालय के लिए :- जनभागीदारी समिति के कार्यवृत्त विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

कुलसचिव
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
भोपाल दिनांक 18-02-26

पृ.कं. 178 /अकादमी/सम्बद्धता/2026
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. ए.आई.सी.टी.ई. नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल नर्मदापुरम संभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. प्रभारी वि.वि. आई.टी. वेब सेल भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. परीक्षा नियंत्रक बरकतउल्ला विश्वविद्यालय की ओर सूचनार्थ।
6. कुलपुरु/कुलसचिव जी के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।

सहायक कुलसचिव, (अकादमी)